19/6/25

प्रतिवादीगण सं० 1 लगा० 6 मय वकील श्री अरविन्द सिंह ने प्रा०पत्र शीघ्र सुनवाई किये जाने बाबत, पेश कर पत्रावली तलब किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली तलब की जाकर उभय पक्ष के अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष में आवाज लगाई गई। वकील वादीगण उप० । प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रा०पत्र पर सुना गया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त वाद से संबंधित पूर्ववाद सं० 39/24 भवानी शंकरलाल बनाम किशोर दिनांक 5/6/25 को मुताबिक नक्शे कुरेजात डिक्री किया जा चुका है। पूर्व वाद सं० 39/24 व उक्त वाद में पक्षकारान, सं.नं. समान है ~~उक्त वाद में~~ इसलिए पूर्ववर्ती वाद व उक्त वाद समान आधार पर पेश किया गया है इसलिए पूर्ववर्ती वाद दिनांक 5/6/25 को अन्तिम डिक्री किया जा चुका है। इसलिए वर्तमान वाद चलने योग्य न होने से खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली का अवलोकन व मनन करने के पश्चात पूर्व वाद व वर्तमान उक्त वाद सं० 5/25 चलने योग्य न होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] रजिस्टर से कम होकर [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.07.24 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with OKEN Scanner